



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275452
CG-DL-E-13082026-275452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4324]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4324]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

का.आ. 4504(अ).— जबकि भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, भारत के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के अनुसरण में, यह निर्णय किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के क्षेत्रीय कार्यालय को 13 अगस्त, 2026 से 12 अगस्त, 2028 तक दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि हेतु भारत में वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाएंगी जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ), अधिनियम 1947 (1947 का 46) की अनुसूची की धारा 7 (ख), 8 और 18 में निहित हैं।

अतः, अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के क्षेत्रीय कार्यालय को, इसकी दिनांक 16 जून, 1986 की अधिसूचना सं. डी-II/451/16(2)/85 के माध्यम से प्रदान किए गए विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, यथोचित परिवर्तनों के

साथ, 13 अगस्त, 2026 से 12 अगस्त, 2028 तक दो वर्षों की अवधि के लिए भारत में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के क्षेत्रीय कार्यालय और उसके अधिकारियों पर लागू होंगे।

यह अधिसूचना 13 अगस्त, 2026 से 12 अगस्त, 2028 तक दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. डी-II/451/16(3)/2010]

अमित कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

S.O. 4504(E).— Whereas in pursuance of the exchange of letters between the Government of India and the International Committee of the Red Cross, India, it is decided to accord the Regional Office of the International Committee of the Red Cross, privileges and immunities in India similar to those contained in Section 7(b), 8 and 18 of the Schedule to the United Nations (Privileges and Immunities), Act 1947 (46 of 1947) for a further period of two years from 13th August, 2026 till 12th August, 2028.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the aforementioned Act, the Central Government hereby notifies that the privileges and immunities extended to the Regional Office of the International Committee of the Red Cross in India vide its Notification No. D-II/451/16(2)/85 dated the 16th June, 1986 shall apply, *mutatis mutandis* to the Regional Office of the International Committee of the Red Cross in India and to its officers for a period of 2 years from 13th August, 2026 till 12th August, 2028.

This notification shall remain in force for a period of two years from 13th August, 2026 till 12th August, 2028.

[F. No. D-II/451/16(3)/2010]

AMIT KUMAR, Addl. Secy.